GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF DEFENCE DEPARTMENT OF DEFENCE RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO.18

TO BE ANSWERED ON 19th July, 2021

IMPLEMENTATION OF CoE RECOMMENDATIONS RELATED TO DEFENCE REFORMS

18 SHRI K. SOMAPRASAD:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether Government has accepted the recommendations of the Committee of Experts (CoE) which envisages to optimize both military personnel and defence civilians;
- (b) if so, the details thereof; and
- (c) the details of the process of downsizing undertaken so far?

ANSWER MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE SHRI AJAY BHATT

(a) to (c): The Committee of Experts (CoE) constituted by the Ministry of Defence under the chairmanship of Lt Gen (Retd) DB Shekatkar to recommend measures to enhance combat capability and rebalance defence expenditure of the armed forces, submitted its report in December, 2016.

The Report was taken up by the Ministry of Defence to frame key action points and roadmap for implementation. Measures recommended by the Committee and taken up for implementation include:

(i) Optimization of Signals Establishments to include Radio Monitoring Companies, Corps Air Support Signal Regiments, Air Formation Signal Regiments, Composite Signal Regiments and merger of Corps Operating and Engineering Signal Regiments.

...2/-

- (ii) Restructuring of repair echelons in the Army to include Base Workshops, Advance Base Workshops and Static/Station Workshops in the field Army.
- (iii) Redeployment of Ordnance echelons to include Vehicle Depots, Ordnance Depots and Central Ordnance Depots apart from streamlining inventory control mechanisms.
- (iv) Better utilization of Supply and Transportation echelons and Animal Transport Units.
- (v) Closure of Military Farms and Army Postal Establishments in peace locations.
- (vi) Enhancement in standards for recruitment of clerical staff and drivers in the Army.
- (vii) Improving the efficiency of the National Cadet Corps.

The implementation of certain recommendations of the CoE involves redeployment/restructuring/optimization of approximately 57,000 posts, both military and civilian.

Full details are not being placed in the public domain as they include operational aspects of the armed forces, disclosure of which is not in the interest of national security.

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग राज्य सभा अतारांकित प्रश्नि संख्या 18 19 ज्लाई, 2021 को उत्तटर के लिए

रक्षा संबंधी सुधारों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

18. श्री के. सोमप्रसाद:

क्याश रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क): क्या सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है जिसमें सेना के कार्मिकों और रक्षा असैनिक कर्मचारियों, दोनों के इष्टतम उपयोग को परिकल्पित किया गया है;
- (ख): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग): अब तक की गई कटौती की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) से (ग): सशस्त्र सेनाओं की युद्धक क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को पुनः संतुलित करने हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीबी शेकटकर की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति (सीओई) ने दिसम्बर 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्त्त की थी।

मुख्य कार्रवाई बिन्दु तैयार करने और कार्यान्वयन हेतु रोडमैप तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। समिति द्वारा अनुशंसा किए गए उपायों और कार्यान्वयन हेत् शुरू किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) रेडियो मॉनीटरिंग कम्पनियों, कोर एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट्स, एयर फोरमेशन सिग्नल रेजिमेंट्स, कंपोजिट सिग्नल रेजिमेंट्स और कोर ऑपरेटिंग तथा इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंट्स के आमेलन को शामिल करने के लिए सिग्नल संस्थापनाओं का इष्टतमीकरण।
- (ii) बेस वर्कशाप, एडवांस बेस वर्कशाप और फील्ड आर्मी में स्टेटिक/ स्टेशन वर्कशापशामिल करने के लिए सेना में मरम्मत पद सोपानकों की पुनर्सरंचना।
- (iii) इन्वेट्री नियंत्रण व्यवस्था को कारगर बनाने के अलावा वाहन डीपो, आयुध डीपो एवं केन्द्रीय आयुध डीपो को शामिल करने के लिए आयुध सोपानकों की पुनः तैनाती।
- (iv) आपूर्ति और परिवहन सोपानक एवं पशु परिवहन यूनिट का बेहतर उपयोग।
- (v) शांति स्थानों पर सैन्य फार्मों और सैन्य डाक संस्थापनाओं को बंद किया जाना।
- (vi) सेना में लिपिक स्टाफ और ड्राइवरों की भर्ती के लिए मानकों में बढ़ोत्तरी।
- (vii) राष्ट्रीय कैडेट कोर की कार्यक्षमता में सुधार लाना।

सीओई की कतिपय सिफारिशों के क्रियान्वयन में लगभग 57,000 पदों, सैन्य और सिविलियन दोनों की पुनर्तैनाती/पुनर्गठन/इष्टतमीकरण शामिल है।

सार्वजनिक डोमेन में पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है क्योंकि उनमें सशस्त्र सेनाओं के संक्रियात्मक पहलू शामिल हैं, जिनका प्रकटीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।
